न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/54/2017 तारीख रजु 15.05.2017

उनवान

श्रीमति निरी बेबा हुकमसिंह जाति गुर्जर निवासी जगनत्था तहसील हिण्डौन जिला करौली।
———वादीगण(03)

बनाम

नवल पुत्र प्रभू जाति गुर्जर वगै0 निवासी जगनत्था तहसील हिण्डोन जिला करौली।
———प्रतिवादी(10)

उपस्थितिः—
वादी की ओर से :— श्री राघवेन्द्र जैमिनी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 20.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा मेन्डेटरी फोर्म स्थित ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डोन के खसरा न. 2444,2446,2464,2472,2476,2483,2576 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्मान वादी वकील कई बार तलवान पेश करने के अवसर दिये गये पत्रावली दिनांक 20.01.2020 को तलवी की स्टेज पर पेश हुई । बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावे में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 54/2017 निरी बनाम नवल अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.14 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested